न्यायालय : अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, फलोदी
पीठासीन अधिकारी – जयपाल जाणी (DJ Cadre)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 274/2026
CIS No- 247/2026 CNR NO. RJPH01-001404-2026

प्रार्थी/अभियुक्त :–

भंवरदान पुत्र रूघनाथदान, उम्र–63 साल, निवासी ढाढरवाला, पुलिस थाना चाखु, जिला फलोदी (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :– राजस्थान राज्य।

द्वितीय अन्तरिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता)
सेशन प्रकरण संख्या 29/2021 सरकार बनाम ओमदान व अन्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2020 पुलिस थाना चाखु
अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 427, 342, 323, 324, 325, 326, 440, 307, 302 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :–
1. श्री नवाब खान, श्री संतोष विश्नोई अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री कैलाश कड़वासरा, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज. राज्य।
3. श्री जोधाराम विश्नोई, अधिवक्ता वास्ते परिवादी पक्ष।

–: आदेश :– **दिनांक : 03.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह द्वितीय अन्तरिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता) पेश करने पर संबंधित प्रकरण पत्रावली तलब की जाकर बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान् सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 30.10.2020 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सरहद ढाढरवाला में परिवादी प्रभुदान, लक्ष्मणदान, मघादान, जगदीशदान, भीमदान, लक्ष्मण व रामकिशोर की गाड़ी को घेरकर उन्हें जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी, लाठी, सरिये, तलवार व लोहे के पाईप से गाड़ी के शीशे पर वार कर परिवादी सहित अन्य 6 लोगों के साथ जान से मारने की नीयत से वार कर लक्ष्मणदान व मघाराम की मृत्यु कारित करने के कारण बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 302, 427, 342, 323, 324, 325, 326, 440 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान जमानत प्रार्थना पत्र में

वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की व कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र करणीदान व पुत्री सरोज कंवर की शादी 06 जुलाई, 2026 को होना तय हुआ है, जिसमें पिता का होना बहुत आवश्यक है एवं प्रार्थी/अभियुक्त अपने पुत्र–पुत्री की शादी में शामिल होना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त करीब 6 वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पूर्व में भी प्रार्थी/अभियुक्त की माता के देहान्त पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से उसे अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अपनी पुत्र व पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने हेतु 30 दिन की अन्तरिम जमानत दी जाए। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवाह पत्रिका की फोटो प्रति पेश की गई।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने से उसके फरार हो जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना गया व प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6. प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि

7. अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विवाह पत्रिका के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र करणीदान व पुत्री सरोज कंवर का विवाह दिनांक 06 जुलाई, 2026 को होना प्रकट होता है। प्रार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उसका अपने पुत्र–पुत्री के विवाह में पिता होने के नाते शामिल होना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के पुत्र एवं पुत्री का विवाह है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये बिना मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01 जुलाई, 2026 से 10 जुलाई, 2026 तक (कुल 10 दिवस) के लिए अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त भंवरदान पुत्र रूघनाथदान, उम्र–63 साल, निवासी ढाढरवाला, पुलिस थाना चाखु, जिला फलोदी (राज.) की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता) आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त **दो लाख रूपये की** राशि न्यायालय में जमा करवावे एवं अंत.

रिम जमानत की अवधि पूर्ण होने पर अभियुक्त के पुनः जेल में दाखिल होने की स्थिति में उसके द्वारा न्यायालय में इस अंतरिम जमानत आदेश की अनुपालना में जमा करवाई गई उक्त आदेशित राशि दो लाख रूपये पुनः उसे लौटा दिये जावे। यदि नियत अवधि में प्रार्थी/अभियुक्त अंतरिम जमानत की शर्तों की पालना में जेल में दाखिल नहीं होता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई दो लाख रूपये की राशि जब्त सरकार की जाकर राजकोष में जमा की जावे। प्रार्थी/अभियुक्त निम्नांकित शर्तों के साथ न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद **एक लाख रूपये का स्वयं का मुचलका एवं पचास–पचास हजार रूपए की दो सुदृढ व विश्वसनीय मौतबीर जमानतें** प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दें, तो प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01.07.2026 से 10.07.2026 तक (कुल 10 दिवस) अंतरिम जमानत पर आजाद कर दिया जावें कि :–

(क) प्रार्थी/अभियुक्त इस अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं अन्य किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(ख) प्रार्थी/अभियुक्त हस्तगत मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(ग) प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय की अनुमति के बिना भारत के बाहर नहीं जायेगा।

9. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.07.2026 को सांयकाल तक कारागृह बंद होने से पूर्व पुनः प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, फलोदी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा, जिसे प्रभारी अधिकारी पुनः जिला कारागृह फलोदी में दाखिल कर प्रार्थी/अभियुक्त को कारागृह में दाखिल करने की सूचना अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करेगा।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फलोदी, जिला फलोदी

10. आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को लिखया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फलोदी, जिला फलोदी